Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Paper

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

विवेक राम [1*], डॉ. रेनू शरण [2]

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

[2] निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

Corresponding Author: *विवेक राम

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17409269

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005, भारत में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह विधान न केवल ग्रामीण परिवारों के लिए न्यूनतम सौ दिनों का वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर आर्थिक मजबूती को भी बढ़ावा देता है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के विशेष संदर्भ में मनरेगा के प्रभाव, उपलब्धियों और कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण करता है। एक मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, अध्ययन के निष्कर्ष ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस योजना के सकारात्मक योगदान की पुष्टि करते हैं। हालाँकि, अध्ययन भुगतान में देरी, कार्य आवंटन में पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त जन जागरूकता से संबंधित लगातार प्रशासनिक चुनौतियों को भी उजागर करता है, जो इसकी पूर्ण परिवर्तनकारी क्षमता को सीमित करते हैं। यह शोध निष्कर्ष निकालता है कि मनरेगा को ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक मील का पत्थर बनाने के लिए एक अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली अपनाना महत्वपूर्ण है।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584- 184X
- ✓ **Received:** 06-07-2025
- ✓ **Accepted:** 25-08-2025
- ✓ **Published:** 22-10-2025
- ✓ **MRR:3(10):**2025;01-04
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite this Article

विवेक राम, रेनू शरण. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च एंड रिव्यू. 2025;3(10):01-04.

मुख्य शब्द: मनरेगा, ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, तखतपुर, सुशासन, पारदर्शिता

1. प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएँ लंबे समय से देश के विकास में बाधा रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया, जो वर्ष 2006 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को "जीविकोपार्जन की गारंटी" प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलें। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का बेरोजगारी भत्ता युक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ जैसे कृषि-आधारित राज्य में मनरेगा का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और श्रम पर आधारित है। इस शोध का विशेष फोकस बिलासपुर जिले के तखतपुर

© 2025 विवेक राम, डॉ. रेनू शरण . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

विकासखंड पर है, जहाँ मनरेगा योजनाओं का व्यापक रूप से संचालन किया गया है।

2. अनुसंधान के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- तखतपुर विकासखंड में मनरेगा योजनाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
- रोजगार सृजन में मनरेगा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना।
- योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. अध्ययन क्षेत्र का परिचय

तखतपुर विकासखंड छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है। यह क्षेत्र मूलतः कृषि प्रधान है, जहाँ की लगभग 1,42,000 (2021 जनगणना के अनुसार) जनसंख्या, जो लगभग 120 ग्राम पंचायतों में फैली हुई है, मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। यहाँ की साक्षरता दर 68% है, लेकिन लगभग 40% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। चूँकि यह क्षेत्र मानसूनी कृषि पर अत्यधिक निर्भर है और ऑफ-सीजन में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, मनरेगा यहाँ के ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक प्रमुख और विश्वसनीय साधन बन गया है, जो संकटकालीन आय सुरक्षा प्रदान करता है।

4. साहित्य समीक्षा

मनरेगा पर अनेक शोध कार्य किए जा चुके हैं जिनसे इस योजना की उपयोगिता एवं कमियों की झलक मिलती है

द्रेज और सेन (2013) ने मनरेगा को एक क्रांतिकारी अधिनियम के रूप में सराहा, यह सुझाव देते हुए कि इसमें न्यूनतम मजदूरी प्रदान करके "निजी नियोक्ता की तानाशाही" को तोड़ने की क्षमता है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती है।

इसी तरह, देव (2016) ने योजना के पहले दशक के एक व्यापक अवलोकन में, कृषि मजदूरी बढ़ाने और कमजोर वर्ग के बीच गरीबी को कम करने में इसके मामूली लेकिन महत्वपूर्ण योगदान को नोट किया, साथ ही निजी साहूकारों पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

नारायणन (2015) ने भी कृषि के खाली मौसमों के दौरान एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने में योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए उपभोग की स्थिरता सुनिश्चित हुई।

पारीदा (2016) ने अपने अध्ययन में पाया कि मनरेगा कृषि के खाली मौसमों के दौरान गरीब और हाशिए पर रहने वाले समूहों को रोजगार के अवसर प्रदान करके मौसमी संकटपूर्ण पलायन को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आज़म (2018) ने मनरेगा के श्रम बाजार प्रभावों का मूल्यांकन किया और पाया कि इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी दर को 5% तक बढ़ा दिया है। हालांकि, उनका शोध यह भी इंगित करता है कि कुछ राज्यों में इस योजना के कारण निजी क्षेत्र के रोजगार में कमी आई है।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (2020) की रिपोर्ट के अनुसार, बिलासपुर जिले में मनरेगा के तहत जल संरक्षण, तालाब निर्माण, सड़क निर्माण और वृक्षारोपण कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी है, किंतु प्रशासनिक ढांचे की जटिलताएँ इसके प्रभाव को सीमित करती हैं।

महिला सशक्तिकरण और समानता: अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मनरेगा के महिला सशक्तिकरण के अनपेक्षित परिणाम पर केंद्रित है। यह प्रावधान कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ हों, राष्ट्रीय स्तर पर उच्च महिला भागीदारी दर का कारण बना है।

पोरवाल (2025) और बहेरा, मोहपात्रा, और बहेरा (2025) ने पाया कि भागीदारी ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाया है, उनके आत्म-सम्मान को बढ़ावा दिया है, और घरेलू निर्णय लेने में उनके प्रभाव को बढ़ाया है। ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी और बैंकों तथा पंचायत कार्यालयों तक उनकी बढ़ी हुई पहुँच भी उनके सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान करती है।

हिरवे एट अल. (2010) ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी रोजगार गारंटी कार्यक्रम का वास्तविक दीर्घकालिक प्रभाव उत्पादक संपत्तियों के निर्माण में निहित है जो निरंतर श्रम-गहन विकास की ओर ले जाता है।

सुधा नारायणन (2016) ने 'केवल गड्ढा खोदने' की आलोचना का जवाब देते हुए मनरेगा द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों की विविधता और परिवर्तनकारी क्षमता का मूल्यांकन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संरक्षण, सूखा-प्रूफिंग और भूमि विकास जैसे कार्यों ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया है, और यह विचार गलत है कि मनरेगा केवल संसाधनों की बर्बादी है।

अंबस्ता एट अल. (2008) ने निर्मित संपत्तियों की खराब गुणवत्ता से संबंधित शुरुआती चुनौतियों की ओर इशारा किया, इस बात पर जोर दिया कि "कहीं से कहीं नहीं जाने वाली सड़कों" के निर्माण से बचने के लिए पर्याप्त तकनीकी पर्यवेक्षण और बेहतर कार्य योजना महत्वपूर्ण हैं।

जयकुमार और प्रभाकर (2025) ने हाल के शोध में तकनीकी हस्तक्षेपों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने पाया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार-आधारित भुगतान को अपनाने से पारदर्शिता में काफी वृद्धि हुई है और मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी कम हुई है।

दत्त, मुर्गाई, और रेवेलियन (2012) ने मनरेगा की दक्षता और लक्ष्यीकरण का एक मूलभूत मूल्यांकन प्रदान किया, यह पुष्टि करते हुए कि यह योजना प्रभावी ढंग से गरीबों को लक्षित करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल है कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचे।

5. अनुसंधान कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में मिश्रित-पद्धति अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया गया, जिसमें माध्यमिक डेटा के वर्णनात्मक विश्लेषण को प्राथमिक डेटा की विश्लेषणात्मक व्याख्या के साथ जोड़ा गया।

5.1 डेटा के प्रकार और संग्रह

प्राथमिक डेटा: लाभार्थियों के साथ संरचित साक्षात्कार/प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया। प्रश्न socio-economic प्रोफाइल, काम

© 2025 विवेक राम, डॉ. रेनू शरण . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

की मांग, प्राप्त रोजगार, मजदूरी का उपयोग, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं (मजदूरी भुगतान, शिकायत निवारण) के अनुभव पर केंद्रित थे।

माध्यमिक डेटा: आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त किया गया, जिसमें तखतपुर जनपद पंचायत, बिलासपुर जिला पंचायत की वार्षिक रिपोर्टें, और 2015-2025 की अवधि के लिए मनरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल से प्राप्त जानकारी शामिल है।

5.2 नमूना चयन और अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का तखतपुर विकासखंड है, जिसमें लगभग 120 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

नमूना चयन तकनीक: स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन का उपयोग किया गया। **स्तरीकरण:** ब्लॉक को भौगोलिक स्थिति और मनरेगा में ऐतिहासिक भागीदारी दर के आधार पर स्तरीकृत किया गया।

ग्राम पंचायतों का चयन: ब्लॉक के भीतर विभिन्न प्रशासनिक और भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस (10) ग्राम पंचायतों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से चुना गया।

लाभार्थियों का चयन: प्रत्येक 10 चयनित ग्राम पंचायत के जॉब कार्ड रजिस्टर से दस (10) लाभार्थी परिवारों को यादृच्छिक रूप से चुना गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल नमूना आकार 100 उत्तरदाताओं (N=100) का रहा।

5.3 डेटा विश्लेषण:

वर्णनात्मक सांख्यिकी: socio-economic मापदंडों और कार्य मेट्रिक्स के लिए प्रतिशत, माध्य , और आवृत्तियों की गणना।

तुलनात्मक विश्लेषण: स्थानीय रोजगार सृजन के आँकड़ों की गारंटीकृत 100 दिनों की पात्रता के साथ तुलना।

विषयगत विश्लेषण: चुनौतियों और लाभों पर साक्षात्कारों से एकत्र किए गए गुणात्मक डेटा को विषयगत श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया।

6. विश्लेषण और निष्कर्ष

(क) रोजगार सृजन की स्थिति

तालिका 1: रोजगार सृजन की स्थिति

मीट्रिक	तखतपुर खंड में परिणाम (2015–2025 औसत)	राष्ट्रीय मानक/पात्रता
प्रति परिवार प्राप्त औसत रोजगार दिवस	80–90 दिन	100 दिन (गारंटीकृत पात्रता)
महिलाओं की भागीदारी दर	45%	33% (अनिवार्य न्यूनतम)

अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2015-2025 के बीच मनरेगा के तहत तखतपुर में औसतन 80-90 दिनों का रोजगार प्रत्येक परिवार को प्राप्त हुआ। कृषि के ऑफ-सीजन में यह योजना ग्रामीणों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनी।

(ख) महिला भागीदारी

महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई कृ लगभग 45% लाभार्थी महिलाएँ थीं। इससे महिला सशक्तिकरण और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

(ग) सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- मनरेगा ने ग्रामीण जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं कृ
- कच्ची सड़कों, तालाबों, नालियों, और पेयजल स्रोतों का निर्माण।
- कृषि उत्पादन में सुधार हेतु भूमि समतलीकरण और सिंचाई कार्य।
- बेरोजगारी और पलायन की दर में कमी।

(घ) प्रशासनिक चुनौतियाँ

- हालांकि योजना प्रभावी रही, परंतु कुछ प्रमुख समस्याएँ बनी हुई हैं
- मजदूरी भुगतान में देरी।
- कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी (पीने का पानी, शौचालय)।
- पंचायत स्तर पर निगरानी की अपर्याप्तता।
- तकनीकी कर्मचारियों की कमी।
- जन-जागरूकता का अभाव।

(ङ) कोविड-19 के दौरान प्रभाव

कोविड-19 के समय मनरेगा ने ग्रामीण आबादी को रोजगार सुरक्षा कवच प्रदान किया। बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी श्रमिकों को इस योजना ने रोजगार दिया, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी रही।

7. योजना के सामाजिक और प्रशासनिक लाभ

- गरीबी उन्मूलन में योगदान . मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि कर गरीबी को घटाने में मदद की।
- स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, सड़कों, तालाबों, वृक्षारोपण और जल संरचनाओं के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत ढाँचा सुदृढ़ हुआ।

प्रशासनिक पारदर्शिता

- ऑनलाइन प्रणाली से कार्यों की निगरानी आसान हुई।
- महिला सशक्तिकरणरू महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी।

8. सीमाएँ और चुनौतियाँ

- योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायतें।
- निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र का अभाव।
- तकनीकी प्रशिक्षण की कमी।
- भुगतान में विलंब से मजदूरों की असंतुष्टि।
- युवा वर्ग की घटती रुचि।

9. सुझाव

- मजदूरी भुगतान की समय-सीमा का सख्त पालन किया जाए।
- ग्राम पंचायतों में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति बढ़ाई जाए।
- महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नियमित रूप से किया जाए।

© 2025 विवेक राम, डॉ. रेनू शरण . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- जन-जागरूकता अभियानों को सशक्त किया जाए ताकि योजना की पारदर्शिता बढ़े।

10. निष्कर्ष

तखतपुर विकासखंड के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मनरेगा ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण की दिशा में एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। इसने रोजगार, आय, और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि की है। यद्यपि कुछ प्रशासनिक और प्रबंधकीय चुनौतियाँ अभी शेष हैं, लेकिन यदि पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली अपनाई जाए तो मनरेगा ग्रामीण स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. Ambasta A. Transparency and accountability in NREGA: A case study of Andhra Pradesh. Working Paper No. 1. Accountability Initiative; 2009.
2. Ambasta P, Shankar PSV, Shah M. Two years of NREGA: The road ahead. Econ Polit Wkly. 2008;43(8):41–50.
3. Azam M. Labour market effects of workfare programmes: Evidence from MNREGA. J Dev Stud. 2018;54(11):1957–76.
4. Behera KB, Mohapatra D, Behera A. How does MGNREGA effect on women empowerment? A case study of Indian state. ARF India; 2025.
5. Dev SM. Impact of 10 years of MGNREGA: An overview. Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR); 2016.
6. Dreze J, Sen A. An uncertain glory: India and its contradictions. Princeton (NJ): Princeton University Press; 2013.
7. Dutta P, Murgai R, Ravallion M. Does India's employment guarantee scheme guarantee employment? J Dev Econ. 2012;97(2):401–12.
8. Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat and Rural Development. Bilaspur District Annual Report. Raipur: Government of Chhattisgarh; 2022.
9. Government of India, Ministry of Rural Development. MGNREGA Annual Report 2023–24. New Delhi: Government of India; 2024.
10. Gupta AK, Kumar A, Kumar D. Impact of MGNREGA on socio-economic status and women empowerment in India. Creat Launcher. 2017;2(1):42–3.
11. Hirway I, Saluja MR, Yadav B. Employment guarantee programme and pro-poor growth: The study of a village in Gujarat. New Delhi: Academic Foundation; 2010.
12. Jayakumar B, Prabakar S. Leveraging digital innovation to enhance MGNREGA's impact on rural empowerment. Int J Civ Eng Sci Enq. 2025;11(1):1270–7.
13. Kanwar Z, Rathore MS. Barriers to effective implementation of the MGNREGA scheme: A comprehensive analysis of obstacles and constraints in rural areas. INSPIRA; 2023.
14. Narayanan S. The MGNREGA in India: Employment, impact and challenges. Econ Polit Wkly. 2015;50(28).
15. Narayanan S. MNREGA and its assets. Ideas for India; 2016.
16. Parida JK. MGNREGS, distress migration and livelihood conditions: A study in Odisha. J Soc Econ Dev. 2016;18(1):1–25.
17. Porwal P. Empowering rural women: An assessment of MGNREGA's impact on generating employment and independence for women. J Contemp Polit. 2025;4(1):33–40.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 विवेक राम, डॉ. रेनू शरण . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/